

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—153 / 2014

संस्थित दिनांक—दिनांक 09 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर

जिला बालाघाट म.प्र.

..... अभियोजन

विरुद्ध

अविशेक गुप्ता पिता जयप्रकाश गुप्ता, उम्र 30 साल,

निवासी—404 गनपति नगर, गोदनी रोड, थाना काहौल,

जिला बालाघाट म.प्र.

..... आरोपी

निर्णय

(आज दिनांक—09 दिसम्बर 2014 को घोषित)

निष्कर्ष

आरोपी की स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया है। अतः आरोपी के द्वारा व्यक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा—279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी को उक्त दोषसिद्धि हेतु धारा—279, 337 भारतीय दण्ड विधान में कमशः 1000 /— एक हजार रुपये, 500 /— पांच सौ रुपये कुल 1500 /— एक हजार पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में

व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को उपरोक्त धाराओं में क्रमशः 15 दिवस, 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन महिन्द्रा लोगन पंजीयन क्रमांक-एम.एच. 31 सी.आर.4577 को रजिस्टर्ड स्वामी को मय दस्तावेज के वापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)